भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *303
उत्तर देने की तारीख 11 अगस्त, 2025
20 श्रावण, 1947 (शक)

खेल अवसंरचना के विकास हेतु धनराशि का आवंटन

*** 303. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान खेलो इंडिया, राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) और अवसंरचना विकास जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार से किसी एक राज्य को सभी दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक धनराशि प्राप्त हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सभी राज्यों में खेलों से संबंधित धनराशि का एकसमान और आवश्यकता-आधारित वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के कोई मानदंड हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश के दक्षिणी राज्यों में खेल अवसंरचना, प्रशिक्षण अकादमियों को सुदृढ़ करने और प्रतिभाओं की पहचान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"खेल अवसंरचना के विकास हेतु धनराशि का आवंटन" के संबंध में माननीय लोक सभा सदस्य डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा दिनांक 11.08.2025 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *303 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) इस मंत्रालय में धनराशि का आवंटन राज्य-वार नहीं स्कीम-वार किया जाता है। पिछले तीन वर्ष के दौरान, देश भर में खेल विभाग की खेलो इंडिया, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) और अवसंरचना विकास सहित विभिन्न खेल विकास स्कीमों के अंतर्गत आवंटित धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि
2024-25	2332.50
2023-24	2380.86
2022-23	1907.69

देश भर में खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचना का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड पर क्रमशः https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ख) से (घ) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खेल अवसंरचना, प्रशिक्षण अकादमियों और प्रतिभा पहचान को सुदृढ़ करने सहित खेलों के विकास की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। इस मंत्रालय की स्कीमें मांग-आधारित स्कीमें है, जिसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाता है, जो प्रस्ताव की पूर्णता, उसकी तकनीकी व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता सहित स्पष्ट मानदंडों पर आधारित होती है। राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुख्य रूप से खेलो इंडिया स्कीम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस विभाग की स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न मानदंडों, जैसे कि उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। देश भर में खेलों को बढ़ावा देने, जिसमें खेल अवसंरचना, प्रशिक्षण अकादमियों का सुदृढ़ीकरण और दक्षिणी राज्यों में प्रतिभाओं की पहचान करना शामिल है, के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कई प्रमुख पहलों को क्रियान्वित करता है। इनमें खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ), और भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन शामिल है। उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

*****